

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(02)ग्रावि/नरेगा/माद/56002/2014

जयपुर, दिनांक :

29 FEB 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी नरेगा  
बांसवाडा।

विषय:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत समूह कुआं  
(ग्रुप-वेल) के संबन्ध में।

संदर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक जिप/बांस/ईजीएस/2015-16/3679 दिनांक  
09.02.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश 2013 के बिन्दु संख्या 7.3.9 के प्रावधानानुसार सेमीक्रिटीकल/क्रिटीकल/अतिदोहित क्षेत्रों में व्यक्तिगत कूप निर्माण की अनुमति नहीं है।

पुराने कुएं गहरीकरण का कार्य योजनान्तर्गत किसी भी क्षेत्र में कराया जाना अनुमत नहीं है।

सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

*(रजीव ठाकुर)*  
(रजीव ठाकुर)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम महात्मा गांधी नरेगा बांसवाडा।
2. रक्षित पत्रावली।

3- All DPC/ADPC

*(रजीव ठाकुर)*  
परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस